जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 05.09.2023

आज दिनांक 05.09.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना धनघटा पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री बृजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री संतोष कुमार मिश्र* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 360 / 2023 धारा 308 / 323 / 504 / 506 भादवि के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सत्येन्द्र पुत्र रघुबर निवासी मरवटिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि दिनांक 09.06.2023 को वादी श्री हनुमान प्रसाद पुत्र सुक्खू प्रसाद निवासी मरवटिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के पिता को उक्त अभियुक्त द्वारा लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया गया था, जिससे वह बेहोश हो गये थे। उक्त संबंध में वादी द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 13.06.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। धनघटा पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.09.2023 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, कां0 सन्तोष यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री बृजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धनघटा ***श्री संतोष कुमार मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 595/2023 धारा 376 / 504 / 506 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अभिषेक सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को हैंसर बाजार ब्लाक के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना व जानमाल आदि की धमकी दी गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 04.09.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 05.09.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिनारायण दीक्षित, हे0कां0 अशोक प्रसाद, कां0 रणजीत कुमार।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 1498 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल*–** पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत बेलहरकला से इवेन्ट संख्या 10798 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 01 व्यक्ति (रामनाथ प्रजापति पुत्र विश्वनाथ प्रजापति निवासी व थाना बेलहरकला) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 02 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 राजकिशोर प्रसाद, आ0 संतोष कुमार शुक्ला, हो0चा0 अखिलेश सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 41 वाहनों से 47,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 05.09.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 41 वाहनों से 47,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।